"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2017— माघ 14, शक 1938

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2017

आदेश

क्रमांक एफ 4-03/दो/गृह-सी/2002. — यत:, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये;

अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्र. 10 सन् 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, जो 01 फरवरी, 2017 से प्रभावी होगी.

अनुसूची

"राज्य के माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं से संबंधित समस्त कार्यों के लिये नियुक्त किये गये कार्मिक."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 4-03/दो/गृह-सी/2002.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की आदेश क्रमांक एफ 4-03/दो/गृह-सी/2002, दिनांक 31-1-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 31st January 2017

ORDER

No. F 4-03/Two/Home-C/2002. — Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the schedule below;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Atyavashyak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government, hereby, prohibits refusal to work in the essential services specified in the schedule with effect from 01 February 2017.

SCHEDULE

"personnel appointed for all the works relating to the examination of the Chhattisgarh Board of Secondary Education in the State."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHRUVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.